

प्रेस नोट
सराहनीय कार्य जनपद बागपत

दिनांक 26.09.2020

- थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा बाद मुठभेड़ कुख्यात शराब तस्कर घायल/गिरफ्तार, कब्जे से तस्करी कर लाई जा रही हरियाणा मार्का अवैध देशी शराब 89 पेटी मय छोटा हाथी व एक नाजायज तमंचा बरामद।

आज दिनांक 26.09.2020 को समय करीब 10.35 बजे जनपद बागपत के थाना खेकड़ा क्षेत्रान्तर्गत ढूंडाहेड़ा चौकी क्षेत्र में थाना खेकड़ा पुलिस व बदमाशों के मध्य मुठभेड़ हुई बाद मुठभेड़ अभियुक्त हरीश उर्फ बिट्ठू पुत्र केशव नाई नि० मवीकला थाना बागपत को गिरफ्तार किया गया। आत्मरक्षार्थ फायरिंग में कुख्यात शराब तस्कर घायल हो गया। इसके कब्जे से छोटा हाथी नम्बर डीएल-१एबी-०९९० मय ८९ पेटी देशी शराब हरियाणा मार्का व एक नाजायज तमंचा मय जिंदा खोखा कारतूस बरामद हुआ है। अभियुक्त से उक्त बरामद शराब हरियाणा से तस्करी कर लायी जा रही थी। गिरफ्तार अभियुक्त कुख्यात शराब तस्कर है। इसका अपराधिक इतिहास ज्ञात किया जा रहा है। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध मे थाना खेकड़ा पर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :-

१—हरीश उर्फ बिट्ठू पुत्र केशव नाई नि० मवीकला थाना बागपत।

बरामदगी का विवरण :-

१—एक छोटा हाथी नम्बर डीएल-१एबी-०९९० मय ८९ पेटी देशी शराब हरियाणा मार्का।

२—एक नाजायज तमंचा मय जिंदा/खोखा कारतूस बरामद।

- थाना बड़ौत पुलिस द्वारा ०९ वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

थाना बड़ौत—पुलिस द्वारा चौकी मण्डी के पास से मु०अ०स० ६७७ / २०२० धारा ३७९ भादवि व ४ / २१ खनन अधिनियम में वांछित अभियुक्त १—जमषेद पुत्र मेहरदीन २—कासिम पुत्र मोजूदीन ३—समीम पुत्र लियाकत ४—षौकत पुत्र रोजूदीन ५—सावेज पुत्र रुकमुदीन ६—महताब पुत्र सूबेदीन ७—मुरसलीन पुत्र मोहर्रम ८—गुलफाम पुत्र सूबेदीन निवासी गण ग्राम सभाखेड़ी थाना बड़ौत व मु०अ०स० ६७१ / २०२० धारा ३६३ भादवि में वांछित अभियुक्त १—मनीष पुत्र स्व० सुल्तान निवासी ग्राम असंडा थाना असोधा जनपद झज्जर हरियाणा को गिरफ्तार किया गया।

- थाना बड़ौत पुलिस द्वारा २/३ गैंगस्टर अधिनियम के अन्तर्गत ११ अभियुक्तो के विरुद्ध कार्यवाही की गई।

थाना बड़ौत—पुलिस द्वारा २/३ गैंगस्टर अधिनियम के अन्तर्गत अभियुक्त १—षाहरुख पुत्र निजामू निवासी प्रेम नगर लोनी गाजियाबाद २—हनीफ पुत्र बपीर निवासी राषिद अली गेट लोनी गाजियाबाद ३—सानू पुत्र मुस्तकीम निवासी पुराना कस्बा बागपत ४—महबूम पुत्र निजामू ५—आरिफ पुत्र अनीष निवासी माता कालोनी कस्बा व थाना बागपत ६—षाहिद पुत्र मेहर ईलाही निवासी राषिद अली गेट लोनी गाजियाबाद ७—वसीम पुत्र अनीष ८—मोमीन पुत्र भूरे निवासी इन्द्रा नेहरू पुरानी ९—नौशाद पुत्र इलियास निसावी ग्राम सिवालखास थाना जानी मेरठ १०—षहजाद पुत्र नूरा निवासी माता कालोनी कस्बा व थाना बागपत ११—समून पुत्र मंजूर निवासी इदरीषपुर थाना बड़ौत जनपद बागपत के विरुद्ध कार्यवाही की गई।